

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : नियमन/2022/ 6443

दिनांक 8 AUG 2022

उप पंजीयक,
भीलवाड़ा।

विषय :- रहन मुक्ति पत्र को पंजीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजस्व ग्राम आदूण की आराजी 515, 516, 519, 521, 524, 525, 2405/521, 2514/515, 2515/516, 2667/522, 522/1, 522/2 कुल 20-03 बीघा भूमि लाईफ श्योर कन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसे प्रार्थी द्वारा कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के तहत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण सं. 169/11 दर्ज किया जाकर स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 21.02.2011 को जारी किया गया एवं उक्त आराजियात का ले-आऊट प्लान न्यास, भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी में दिनांक 28.12.2015 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 07.01.2016 को प्रथमपक्ष को जारी किया गया।

उक्त आराजियात का स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरित विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट प्ट जयपुर दिनांक 05/11/2015 से रहन नामा निष्पादित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा उक्त स्वीकृत प्लान में से आवासीय भूखण्ड संख्या 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज को उक्त स्वीकृत ले आऊट प्लान में आन्तरित विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के हक में रहन रखने हेतु यह रहन नामा 500/-रु. के स्टाम्प कुल कीता 2 पर सम्पादित करने हेतु आपके कार्यालय भिजवाया गया था।

यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरित विकास कार्य टाउनशीप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये हैं। इस कारण उक्त आवासीय भूखण्ड संख्या 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज को रहन से मुक्त किये जाते हैं। अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेंगे। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुके हैं। जिससे यह रहन मुक्ति पत्र स्टाम्प किमती 500/-रु. किता 1 पाईप पर कुल किता दो नंग पर निष्पादित किया जा रहा है। अतः उक्त रहन मुक्ति पत्र पंजीबद्ध करवाने का श्रम करावें। रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।


सचिव
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा



राजस्थान RAJASTHAN

W 596934

रहनमुक्ति पत्र

सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

—प्रथमपक्ष रहनकर्ता

लाईफ श्योर कन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन उम्र 48 वर्ष
निवासी—बापू नगर, भीलवाड़ा

— द्वितीयपक्ष रहनग्रहिता

1— यह है कि राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी 515, 516, 519, 521, 524, 525, 2405/521, 2514/515, 2515/516, 2667/522, 522/1, 522/2 कुल 20-03 बीघा द्वितीयपक्ष के खातेदारी अधिकारों की थीं जिसे प्रथमपक्ष ने कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण सं. 169/11 दर्ज किया जाकर, स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 21.02.2011 को जारी किया गया।

2— यह है कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 515, 516, 519, 521, 524, 525, 2405/521, 2514/515, 2515/516, 2667/522, 522/1, 522/2 कुल 20-03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 28.12.2015 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 07.01.2016 को प्रथमपक्ष को जारी किया गया।

3— यह है कि उक्त आराजीयात स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरिक विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशतभूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल के परिपत्र क्रमांक: प. 3(77)नवि/3/2010 पार्ट-जयपुर दिनांक 05.11.2015 से रहन नामा निष्पादन किये जाने का प्रावधान किया है।

सचिव

नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

पेज 1/2
For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd.

Director

राजस्थान राज्य तहसील विकास, 1998 में अंतर	
स्टाम्प नं. 10/97	तहसील विकास अधिकारी
1. 8/10/97	तहसील विकास अधिकारी
2. गायी	तहसील विकास अधिकारी
(पारा 3) प्रमाणित	तहसील विकास अधिकारी
आपत्तिका निवारण 20/08/97	तहसील विकास अधिकारी
हस्ताक्षर स्टाम्प	चुना योग

500/ ~~...~~ स्टाम्प नं. 3027
 तहसील विकास अधिकारी ज. वि.
 जिला...
 2/8/97
 06-08-2022

श्रीम प्रकाश जवर
 तह. नं. 10/97
 डेपुटी कोर्ट के पास, बीलवाडा

4- यह है कि उक्त प्रावधान के तहत उक्त वर्णितसुदा आराजीयात में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज भूमि स्वीकृत ले आउट प्लान में आन्तरिक विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष के हक में रखे गये जिसका रहन नामा उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा में क्रम संख्या 201703026105209 दिनांक 30.06.2017 पर पंजीबद्ध है।

5- यह है कि द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये है इस कारण उक्त भूखण्ड संख्या भूखण्ड सं. 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज रहन से मुक्त किये जाते है अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेगें। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुकें है जिससे यह रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीयपक्ष वहन कर रहा है।

अतः यह रहन मुक्ति पत्र प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के हक में स्टाम्प किमती 500/- रुपये के स्टाम्प व 1 पाई पेपर कुल किता 2 पर लिख दिया है सो सही प्रमाण रहें, वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक

भीलवाड़ा


सचिव
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd

Director

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

रहन ग्रहिता

गवाह-1

गवाह-2



राजस्थान RAJASTHAN

W 596934

रहनमुक्ति पत्र

सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

—प्रथमपक्ष रहनकर्ता

लार्ड श्योर कन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन उम्र 48 वर्ष
निवासी—बापू नगर, भीलवाड़ा

— द्वितीयपक्ष रहनग्रहिता

1— यह है कि राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी 515, 516, 519, 521, 524, 525, 2405/521, 2514/515, 2515/516, 2667/522, 522/1, 522/2 कुल 20-03 बीघा द्वितीयपक्ष के खातेदारी अधिकारों की थीं जिसे प्रथमपक्ष ने कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण सं. 169/11 दर्ज किया जाकर, स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 21.02.2011 को जारी किया गया।

2— यह है कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 515, 516, 519, 521, 524, 525, 2405/521, 2514/515, 2515/516, 2667/522, 522/1, 522/2 कुल 20-03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 28.12.2015 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 07.01.2016 को प्रथमपक्ष को जारी किया गया।

3— यह है कि उक्त आराजीयात स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरिक विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशतभूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल के परिपत्र क्रमांक: प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-जयपुर दिनांक 05.11.2015 से रहन नामा निष्पादन किये जाने का प्रावधान किया है।

सचिव
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

पेज 1/2
For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd

Director

(Handwritten signature)

श्रीम प्रकाश शर्मा
तारी नं. 10/97
उच्च न्यायालय के पास, बीकानेर

4- यह है कि उक्त प्रावधान के तहत उक्त वर्णितसुदा आराजीयात में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज भूमि स्वीकृत ले आउट प्लान में आन्तरिक विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष के हक में रखे गये जिसका रहन नामा उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा में क्रम संख्या 201703026105209 दिनांक 30.06.2017 पर पंजीबद्ध है।

5- यह है कि द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये है इस कारण उक्त भूखण्ड संख्या भूखण्ड सं. 203 से 235, 15-17, 131-135, 143-146, 178-180 कुल क्षेत्रफल 4151.36 वर्गगज रहन से मुक्त किये जाते है अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेगें। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुकें है जिससे यह रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीयपक्ष वहन कर रहा है।

अतः यह रहन मुक्ति पत्र प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के हक में स्टाम्प किमती 500/- रुपये के स्टाम्प व 1 पाई पेपर कुल किता 2 पर लिख दिया है सो सही प्रमाण रहें, वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक

भीलवाड़ा


हस्ताक्षर प्रथमपक्ष
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

रहन ग्रहिता

गवाह-1

गवाह-2

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : नियमन/2022/ 6437

दिनांक : 18.08.2022

उप पंजीयक,
भीलवाड़ा।

विषय :- रहन मुक्ति पत्र को पंजीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजस्व ग्राम आटूण की आराजी 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2692/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल रकबा 40-06 बीघा एवं आराजी संख्या 523 रकबा 4-00 बीघा भूमि लाईफ श्योरकन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, भूमि द्वितीयपक्ष के स्वामित्व/खरीदसुदा है। उक्त भूमि 90 बी- की कार्यवाही पूर्ण होकर वर्तमान में भूमि राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजियात का ले-आऊट प्लान न्यास, भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी में दिनांक 02.01.2016 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 10.02.2016 को द्वितीयपक्ष को जारी किया गया।

उक्त आराजियात का स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरित विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 05/11/2015 से रहन नामा निष्पादित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा उक्त स्वीकृत प्लान में से आवासीय भूखण्ड संख्या 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज को उक्त स्वीकृत ले आऊट प्लान में आन्तरित विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के हक में रहन रखने हेतु यह रहन नामा 500/-रु. के स्टाम्प कुल कीता 2 पर सम्पादित करने हेतु आपके कार्यालय भिजवाया गया था।

यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरित विकास कार्य टाउनशीप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये हैं। इस कारण उक्त आवासीय भूखण्ड संख्या 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज को रहन से मुक्त किये जाते हैं। अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेंगे। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुके हैं। जिससे यह रहन मुक्ति पत्र स्टाम्प किमती 500/-रु. किता 2 पाईप पर कुल किता दो नंग पर निष्पादित किया जा रहा है। अतः उक्त रहन मुक्ति पत्र पंजीबद्ध करवाने का श्रम करावें। रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।


सचिव
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा



राजस्थान RAJASTHAN

W 596935

रहनमुक्ति पत्र

सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

—प्रथमपक्ष रहनकर्ता

लाइफ श्योर कन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन उम्र 48 वर्ष,
निवासी—बापू नगर, भीलवाड़ा

— द्वितीयपक्ष रहनग्रहिता

1— यह है कि राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2992/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल 40-06 बीघा भूमि द्वितीयपक्ष के स्वामित्व/खरीदसुदा है। उक्त भूमि में 90-बी की कार्यवाही पूर्ण हो कर वर्तमान में भूमि राजस्व रिकोर्ड में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है।

2— यह है कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2992/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल 40-06 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले आउट प्लान नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 20.01.2016 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 10.02.2016 को प्रथमपक्ष को जारी किया गया।

3— यह है कि उक्त आराजीयात स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरित विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशतभूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल के परिपत्र क्रमांक: प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-जयपुर दिनांक 05.11.2015 से रहन नामा निष्पादन किये जाने का प्रावधान किया है।

पेज 1/2

सचिव
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

For LifeSure Construction Pvt. Ltd.
Director

[illegible]

सुख



मोम प्रकाश झवर
ला. नं. 10/97
सेशन कोर्ट के पास, भोल-

4- यह है कि उक्त प्रावधान के तहत उक्त वर्णितसुदा आराजी संख्या 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2692/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल रकबा 40-06 बीघा में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं आराजी संख्या 523 रकबा 4-00 बीघा भूमि में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज भूमि स्वीकृत ले आउट प्लान में आन्तरिक विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष के हक में रखे गये

5- यह है कि द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये हैं इस कारण उक्त आराजी संख्या 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2692/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल रकबा 40-06 बीघा में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं आराजी संख्या 523 रकबा 4-00 बीघा भूमि में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज रहन से मुक्त किये जाते हैं अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेगें। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुकें हैं जिससे यह रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीयपक्ष वहन कर रहा है।

अतः यह रहन मुक्ति पत्र प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के हक में स्टाम्प किमती 500/- रुपये के स्टाम्प व 1 पाई पेपर कुल किता 2 पर लिख दिया है सो सही प्रमाण रहें, वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक

भीलवाड़ा


सचिव
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा
रहनेकर्ता


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
रहन ग्रहिता

गवाह-1

गवाह-2



राजस्थान RAJASTHAN

W 596935

रहनमुक्ति पत्र

सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

—प्रथमपक्ष रहनकर्ता

लाइफ श्योर कन्सलटेन्सी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर ज्ञानचन्द पिता श्री धर्मचन्द जैन उम्र 48 वर्ष,
निवासी-बापू नगर, भीलवाड़ा

— द्वितीयपक्ष रहनग्रहिता

1— यह है कि राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2992/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल 40-06 बीघा भूमि द्वितीयपक्ष के स्वामित्व/खरीदसुदा है। उक्त भूमि में 90-बी की कार्यवाही पूर्ण हो कर वर्तमान में भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है।

2— यह है कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2992/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल 40-06 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले आउट प्लान नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 20.01.2016 को स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 10.02.2016 को प्रथमपक्ष को जारी किया गया।

3— यह है कि उक्त आराजीयात स्वीकृत प्लान अनुसार निर्धारित मापदण्डों अनुसार आन्तरित विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशतभूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल के परिपत्र क्रमांक: प. 3(77)नवि/3/2010 पार्ट-जयपुर दिनांक 05.11.2015 से रहन नामा निष्पादन किये जाने का प्रावधान किया है।

सचिव
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

पेज 1/2

For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd

Director

राज्य	महाराष्ट्र
जिला	पुणे
तहसील	मुंबई
वार्ड	10
मालिका	3
मालिक	20
काल	15

3028
 50/2 सध्या स्थान नं. 3028
 लालिमा (कानून) मी 11-12
 मी 11-12
 3028-2022
 0608-2022

[Handwritten signature]

मोम प्रकाश इवर
 ला. नं. 0/97
 सेशन कोर्ट के 108, भीलवाड़ा

4— यह है कि उक्त प्रावधान के तहत उक्त वर्णितसुदा आराजी संख्या 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2692/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल रकबा 40-06 बीघा में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं आराजी संख्या 523 रकबा 4-00 बीघा भूमि में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज भूमि स्वीकृत ले आउट प्लान में आन्तरिक विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष के हक में रखे गये

5— यह है कि द्वितीयपक्ष द्वारा स्वीकृत प्लान में सुनिश्चित नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत पूर्ण करा दिये गये हैं इस कारण उक्त आराजी संख्या 529/1, 525/1, 524/1, 523/1, 522/4, 2727/522, 2692/522, 2416/522, 522/3, 2667/522, 515/1, 2405/521 कुल रकबा 40-06 बीघा में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 186 से 212, 212/1, 212/2, 212/3 एवं 239 से 250 कुल क्षेत्रफल 81657.5 वर्गफिट एवं आराजी संख्या 523 रकबा 4-00 बीघा भूमि में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 80, 81, 102, 103, 104 क्षेत्रफल 1069.99 वर्गगज रहन से मुक्त किये जाते हैं अतः उक्त भूखण्डों का नियमन करा सकेगें। उक्त वर्णित सभी भूखण्ड रहन के भार से मुक्त हो चुकें हैं जिससे यह रहन मुक्ति पत्र का खर्चा द्वितीयपक्ष वहन कर रहा है।

अतः यह रहन मुक्ति पत्र प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के हक में स्टाम्प किमती 500/- रुपये के स्टाम्प व 1 पाई पेपर कुल किता 2 पर लिख दिया है सो सही प्रमाण रहें, वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक

भीलवाड़ा


सचिव
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा

For LifeSure Consultancy Pvt. Ltd.

Director / Authorised Signatory

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

रहन ग्रहिता

गवाह-1

गवाह-2